

प्रेषक,

आशीष तिवारी,  
विशेष सचिव  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रीय)  
भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय  
क्षेत्रीय कार्यालय, केन्द्रीय भवन  
पंचम तल सेक्टर एच, अलीगंज विस्तार  
लखनऊ।

वन एवं वन्यजीव अनुभाग-2

लखनऊ, दिनांक 31 जनवरी 2018

विषय:-

अमरोहा में बदायूँ-बिजनौर मार्ग एन0एच0-51 के किमी0 113.100 की दांयी पटरी पर ग्राम निजामपुर शर्की के खसरा सं0-79 में एस्सार ऑयल लि0 द्वारा विकसित किये जा रहे रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.0759 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 08 वृक्षों के पातन की अनुमति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने कार्यालय पत्र संख्या-8बी/यूपी/06/45/2017/एफसी/643, दिनांक 28-11-2017 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके माध्यम से विषयगत प्रकरण में की गयी आपत्तियों का निराकरण कर अपेक्षित सूचनायें एवं तत्संबंधी अभिलेखं उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी है। तत्क्रम में मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी के पत्र दिनांक 15-01-2018 द्वारा आपत्तियों का निराकरण कर निम्नवत अभिलेख शासन को निम्नवत उपलब्ध कराया गया है:-

- (1) वनाधिकार अधिनियम प्रमाण पत्र पर कटिंग को प्रमाणित कर संलग्न किया गया है। पताका/क
- (2) वनाधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्रमाण पत्रदिया गया है कि प्रस्तावित पेट्रोल पम्प के आसपास अपितु जनपद अमरोहा में आदिम जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी निवास नहीं करते हैं। पताका/ख
- (3) प्रस्तावित वनभूमि एवं क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित वन भूमि की सर्वे आफ इण्डिया का टोपोशीट मूल में संलग्न की जा गयी है। पताका/ग

2- अतएव मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी के पत्र दिनांक 15-01-2018 द्वारा शासन में उपलब्ध कराये गये अभिलेख की प्रतियां संलग्न कर प्रेषित करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया विषयगत प्रकरण में अग्रेतर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नक:- यथापरि।

भवदीय,

(आशीष तिवारी)

विशेष सचिव

संख्या-128(1)/14-2-2018-तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ।
- 2- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(मनोज कुमार सिंह)

अनु सचिव।